

मक डिस्पोजल प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उ०प्र० शासन के पत्र संख्या- 1252/14-बी-503/61 दिनांक- 25.04.1964 द्वारा 3.79 हे० वन भूमि मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट को पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु 25 वर्षों के लीज पर दिनांक-01.04.1963 से 31.03.1988 तक हस्तान्तरित की गयी थी।

उक्त लीज की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या- 08बी/09/324/92/एफ०सी०/407 दिनांक- 23.05.1995 द्वारा 5(पाँच) शर्तों के अधीन तथा अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग-2 के आदेश संख्या- जी०आई० 159/14-2-95-503/1961 लखनऊ दिनांक- 16 जनवरी 1996 द्वारा 9(नौ) शर्तों के अधीन 25 वर्षों हेतु दिनांक-01.04.1988 से 31.03.2013 तक के लिए लीज का नवीनीकरण मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट के पक्ष में किया गया।

दिनांक- 16.04.2011 को मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट एवं मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट केमिकल डिवीजन रेनुकूट के मध्य विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि, "मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट से संबंधित समस्त सम्पत्ति मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट केमिकल्स डिवीजन रेनुकूट को चालू हालत में उसी प्रयोजन हेतु दे दिया जाय"। मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट एवं मे० आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि० के मध्य दिनांक- 16.04.2011 को हुये समझौते के आधार पर प्रश्नगत 3.79 हे० वन भूमि का उपयोग दिनांक-16.04.2011 से मे० आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि० रेनुकूट द्वारा करते हुए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रबन्ध निदेशक, आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि० रेनुकूट के पत्र संख्या- ए०बी०सी०आई०एल०/40 दिनांक- 30.03.2012 द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या- 2301/11-सी-991 दिनांक- 09 मई 2012 द्वारा प्रमुख सचिव (वन) उ०प्र० शासन, वन अनुभाग-2, लखनऊ को प्रेषित किया गया। उक्त प्रस्ताव के उ०प्र० शासन स्तर पर विचाराधीन रहते हुए मे० आदित्य बिड़ला केमिकल इण्डिया लि० रेनुकूट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची के समक्ष कम्पनी पेटिशन संख्या- 5/2015 व 6/2015 तथा माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० (इन्दौर बेंच) के समक्ष दाखिल कम्पनी पेटिशन सं 13/2015 (Amalgamation of M/s Aditya Birla Chemicals(India) Limited with M/s Grasim Industries Limited) दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची द्वारा दिनांक- 24 नवम्बर 2015 को तथा माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० (इन्दौर बेंच) द्वारा दिनांक-09.10.2015 को Amalgamation संबंधी आदेश पारित किया गया। पारित आदेशों के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट द्वारा तत्समय से किया जाने लगा। मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग करते हुए वन भूमि हस्तान्तरण से संबंधित ऑन लाईन प्रस्ताव सं०-FP/UP/OTHERS/19811/2016 परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया किन्तु कतिपय कारणों से उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो पायी। मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० को सेल डीड के आधार पर Change of Name in transfer of 325 Acres of forest land एवं **Transfer of lease of 3.79 Hectare of forest land** के निस्तारण के संबंध में विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक- 03.02.2021 को बैठक आहूत की गयी। उक्त आहूत बैठक के कार्यवृत्त दिनांक- 03.02.2021 के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 की (गाईड लाइन एवं क्लीरिफिकेशन) के चैप्टर- 5 के प्रस्तर-5.2 एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक- 29.01.2019 के अनुसार प्रकरण का परीक्षण कर Ex-Post Facto के अन्तर्गत प्रस्ताव उचित माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किया गया है। उक्त निर्देश के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रश्नगत ऑन लाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तावित वन भूमि में परियोजना का कार्य वर्ष 1964 में ही पूर्ण किया जा चुका है।

अतः प्रस्तावित परियोजना हेतु मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य नहीं है।

Disposal/Management Plan

While preparing FCA Case, if there is any activity in the project which involves digging of land, muck disposal/management plan has to be prepared.

Should include:-

1. Calculation of muck to be generated self factor has to be applied N.A.
2. Quantity of muck to utilized in the project activities N.A.
3. Balance quantity of muck which requires disposal /management plan? N.A.
4. Carriage of muck from the muck generation site in the dumping site N.A.
5. Ownership of the land and the consent of land owner in case disposal on non forest land N.A.
6. Photograph & carrying capacity of proposed dumping site (muck disposal site) N.A.

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)


S. N. Sastry
Authorized Signatory


क्षेत्रीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र


(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र

7. Development of dumping site construcyion of retaining walls and other tructures as per requirement of the site. The objective is to stop rolling down of the muck N.A.
8. Rehabilitation of dumping site live kevelling planting of grass, shrubs & trees species N.A.

After construction work of the Octagonal building & residential complex will be done
Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Details of dumping site including length, width & height of structures to be exact must be mentioned.

Undertaking by the user agency has to be given to the effect that:

1. Muck management plan will be implemented by the user agency and in case of non implementation of the plan; they will be liable to penaltu/action at their cost.
2. The proposed dumping site is located away from the river/stream/nala.

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

क्षेत्रीय वनाधिकारी
विपक्ष रेंज
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र

(एस0एन0शास्त्री)
यूनिट हेड
मे0 गासीम इण्डस्ट्रीज लि0
रेणुकूट-सोनभद्र

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)


S. N. Sastry
Authorized Signatory

S. N. Sastry
Authorized Signatory

Name of project:

पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ड्रान्समिशन लाईन का निर्माण वर्ष 1964 में पूर्ण किया गया है ।

DETAILS OF MUCK DISPOSAL SITES

Sl. No	Location of Dumping Yard	Owner of Land	Khasra Number	Area (Hect.)	Height of Dumping Zone	Capacity of Dumping Zone	Longitude/ Latitude
.....NIL.....							

Yours Faithfully

(एस०एन०शास्त्री)

यूनिट हेड

मे० गासीम इण्डस्ट्रीज लि०

रेनुकूट-सोनभद्र

(मनमोहन मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी,

रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र

क्षेत्रीय वनाधिकारी
विभाग रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)



S. N. Sastry
Authorized Signatory

83

Name of project: पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ड्रान्समिशन लाईन का निर्माण वर्ष 1964 में पूर्ण किया गया है ।

CERTIFICATE OF MUCK DISPOSAL

This is to certify that there are no materials in the above proposal for muck disposal.

Yours Faithfully

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

(एस0एन0शास्त्री)
यूनिट हेड
मे0 गासीम इण्डस्ट्रीज लि0
रेणुकूट-सोनभद्र

(मनमोहन मिश्र)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukool)



S. N. Sastry
Authorized Signatory